



### प्रेस नोट

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 28 मार्च, 2025 (शुक्रवार) को सम्पन्न 84वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में श्री आलोक कुमार, अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सदस्य सचिव-प्राधिकरण बोर्ड डा० अरुण वीर सिंह द्वारा माननीय संचालक मण्डल के समक्ष प्राधिकरण के विभिन्न विभागों से सम्बंधित एजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये। बोर्ड बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय निम्नवत् हैं :-

1. औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1/904676/2025/163(एम)/2015 दिनांक 11.03.2025 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत जिला गौतमबुद्ध नगर की परगना व तहसील जेवर की राजस्व ग्राम आकलपुर, मकसूदपुर व म्याना में भू-स्वामियों से आपसी कय/अग्रिहण किये जाने हेतु भूमि कय की दरों को पुनरीक्षित करते हुए रु.4300/- प्रति वर्गमी (100 प्रतिशत तोषण सहित) किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 23.02.2016 में वर्णित है कि, नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेसवे के समस्त अधिसूचित क्षेत्र में एक जनपद में प्रतिकर की दर एक समान होती है। सर्किल रेट के भिन्न-भिन्न होने के बावजूद भी कृषकों की माँग यही रहती है कि उन्हें प्रतिकर अथवा भूमि की कीमत एक समान ही होनी चाहिए। अतः उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 23.02.2016 में सम्बन्धित कय निकाय अर्थात् संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21.03.2025 में नौएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) व प्राधिकरण के सेक्टर-10 हेतु शासन द्वारा निर्धारित भूमि कय की दरों के अनुसार ही रु.4300/- रुपये प्रतिवर्गमीटर (वार्षिकी, एक्सग्रेसिया सहित) अथवा रु.3808/- प्रतिवर्गमीटर (वार्षिकी, एक्सग्रेसिया सहित) व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गई है। भूमि कय की उक्त दरें एकमुश्त हैं।
2. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटन/बिड दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।  
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न परिसम्पत्तियों आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक के आवंटन/बिड दरों में वृद्धि की गयी है। अब प्राधिकरण की दर निम्नानुसार होंगी:-

| क्र० सं० | श्रेणी        | पूर्व आवंटन दर वित्तीय वर्ष 2024-25 (प्रति वर्ग मीटर) | वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित आवंटन/नीलामी दर (प्रति वर्ग मीटर) |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.       | आवासीय        | 25900                                                 | 35000                                                          |
| 2.       | वाणिज्यिक     | सैक्टर प्लान व्यवसायिक (FAR Upto 2)                   | 51800                                                          |
|          |               | मास्टर प्लान व्यवसायिक (FAR more than 2)              | 70000                                                          |
| 3.       | ग्रुप हाउसिंग | 62200                                                 | 84000                                                          |
|          |               | 32375                                                 | 52500                                                          |

|   |                                                                                                                                                    |       |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| क | राज्यागत<br>सोवियर सेकंडरी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स, इ<br>डेटल कालेज, युनिवर्सिटी नर्सरी स्कूल, स्पोर्ट्स कॉलेज/स्पोर्ट्स ऐकड | 15020 | 18030 |
|   | 4,000 वर्ग मी० तक                                                                                                                                  | 13560 | 16280 |
|   | 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक                                                                                                       | 12110 | 14540 |
|   | 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक                                                                                                      | 10630 | 12770 |
|   | 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक                                                                                                     | 9200  | 11050 |
|   | 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक                                                                                                     | 7930  | 10990 |
|   | 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त                                                                                                                        |       |       |

|    |                                                                         |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ख  | सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर                                                | 11900 | 14290 |
|    | i) विद्युत सब स्टेशन, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि के सरकारी कार्यालय | 11900 | 14290 |
|    | ii) मिल्क बूथ आदि (पराग/मदर डेयरी)                                      | 10170 | 12210 |
|    | iii) धार्मिक स्थल/ अनाथालय/विधवा आश्रम/वृद्धाश्रम                       | 22770 | 27330 |
|    | iv) अस्पताल                                                             | 25000 | 52500 |
| ग. | कॉरपोरेट आफिस                                                           | 17150 | 20590 |
| 5. | आईटी/एण्ड आईटीआई/एस                                                     |       |       |
|    | - 4,000 वर्ग मी० तक                                                     |       |       |
|    | - 4,000 से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक                                   | 15490 | 18600 |
|    | - 8,000 से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक                                  | 13830 | 16610 |
|    | - 20,000 से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक                                 | 12160 | 14600 |
|    | - 40,000 से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक                                 | 10480 | 12590 |
|    | - 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त                                           | 9060  | 10880 |

|     |                                                    |                                            |                                            |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6.  | औद्योगिक                                           |                                            |                                            |
| 1   | - 4,000 वर्ग मी० तक                                | 14240                                      | 15670                                      |
| 2   | - 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक     | 12130                                      | 13350                                      |
| 3   | - 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक    | 10290                                      | 11330                                      |
| 4   | - 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक   | 9330                                       | 10270                                      |
| 5   | - 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक   | 9010                                       | 9920                                       |
| 6   | - 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त                      | 8670                                       | 9550                                       |
| 7.  | वेयर हाउसिंग, लाजिस्टिक पार्क/फ्रेट कॉम्प्लेक्स :- | उपरोक्त क्रमांक 6 औद्योगिक दरो के समान दर। | उपरोक्त क्रमांक 6 औद्योगिक दरो के समान दर। |
| 8.  | रिक्रीशनल ग्रीन्स, गोल्फ कौर्स/रेस कौर्स           |                                            |                                            |
|     | - 4,000 वर्ग मी० तक                                |                                            |                                            |
|     | - 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक     | 12150                                      | 14590                                      |
|     | - 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक    | 10970                                      | 13180                                      |
|     | - 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक   | 9600                                       | 11530                                      |
|     | - 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक   | 8900                                       | 10690                                      |
|     | - 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त                      | 8350                                       | 10030                                      |
| 9.  | ट्रान्सपोर्ट                                       | 7670                                       | 9220                                       |
| 10. | मिक्स लैण्ड यूज                                    | 51800                                      | 70000                                      |

| Core activity with support activity (FAR Upto 2 for Commercial Activity) |                                |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Size of Plot                                                             | Industry<br>(Rate Per Sq. Mtr) | Institution<br>(Rate Per Sq. Mtr) | Recreational<br>Rate Per Sq. Mtr) |
| 40,000 to 59,999 Sq. Mtr                                                 | 21670                          | 23790                             | 20980                             |

|                                                                               |                                |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 50,000 to 79,999 Sq. Mtr                                                      |                                |                                   |                                   |
| 80,000 to 99,999 Sq. Mtr                                                      | 21260                          | 21180                             | 20600                             |
| 1,00,000 to 119,999 Sq. Mtr                                                   | 21000                          | 21660                             | 20420                             |
| 1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr                                                  | 20830                          | 22350                             | 20280                             |
| 1,40,000 to 159,999 Sq. Mtr                                                   | 20720                          | 22130                             | 20120                             |
| 1,60,000 to 179,999 Sq. Mtr                                                   | 20610                          | 21980                             | 19980                             |
| 1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr                                                  | 20530                          | 21860                             | 19880                             |
| Above 200,000 Sq. Mtr                                                         | 20470                          | 21770                             | 19790                             |
|                                                                               | 20420                          | 21700                             | 19730                             |
| Core activity with support activity (FAR more than 2 for Commercial Activity) |                                |                                   |                                   |
| Size of Plot                                                                  | Industry<br>(Rate Per Sq. Mtr) | Institution<br>(Rate Per Sq. Mtr) | Recreational<br>Rate Per Sq. Mtr) |
| 40,000 to 59,999 Sq. Mtr                                                      | 22790                          | 24910                             | 22100                             |
| 60,000 to 79,999 Sq. Mtr                                                      | 22380                          | 24300                             | 21780                             |
| 80,000 to 99,999 Sq. Mtr                                                      | 22120                          | 23780                             | 21540                             |
| 1,00,000 to 119,999 Sq. Mtr                                                   | 21970                          | 23470                             | 21400                             |
| 1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr                                                  | 21840                          | 23250                             | 21240                             |
| 1,40,000 to 159,999 Sq. Mtr                                                   | 21730                          | 23100                             | 21100                             |
| 1,60,000 to 179,999 Sq. Mtr                                                   | 21650                          | 22980                             | 21000                             |
| 1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr                                                  | 21590                          | 22890                             | 20910                             |
| Above 200,000 Sq. Mtr                                                         | 21540                          | 22820                             | 20850                             |

**मेडिकल डिवाइस पार्क की आवंटन दर :-**

| 1   | मेडिकल डिवाइस पार्क                              |      |      |
|-----|--------------------------------------------------|------|------|
| 1.1 | - 4,000 वर्ग मी० तक                              | 7360 | 7730 |
| 1.2 | - 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक   | 6270 | 6585 |
| 1.3 | - 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक  | 5320 | 5585 |
| 1.4 | - 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक | 4820 | 5060 |
| 1.5 | - 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक | 4660 | 4895 |
| 1.6 | - 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त                    | 4480 | 4705 |

- उक्त दरे 01.04.2025 से प्रभावी होंगी।
- ग्रुप हाउसिंग व कॉरपोरेट ऑफिस की दरे आवासीय दरो की 1.50 गुना की गयी है। अब ग्रुप हाउसिंग व कॉरपोरेट की दर रू० 43500 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है।
- मेडिकल डिवाइस पार्क की गार्ड लाइन्स के अनुसार मेडिकल डिवाइस के आवंटन दरो में 05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, अब 4000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड हेतु रू० 7,730.00 प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष दिनांक 28.02.2025 तक का वास्तविक/पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट।

| (Rs. in Lacs) |                     |                |                                         |                                |                              |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| क्र०सं०       | मद                  | बजट<br>2024-25 | वास्तविक<br>2024-25<br>28.02.2025<br>तक | बजट<br>2024-25<br>(पुनरीक्षित) | प्रस्तावित<br>बजट<br>2025-26 |
|               | प्राप्तियाँ         |                |                                         |                                |                              |
| 1             | पूँजीगत प्राप्तियाँ | 6.00           | -                                       | 3.00                           | 1.00                         |

|   |                                         |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                         |                   |                   |                   | 252,550.00        |
| 2 | ऋण अग्रिम एवं अन्य                      | 165,050.00        | 52,432.44         | 52,850.00         |                   |
| 3 | आवृत्तियों से प्राप्तियाँ               | 763,547.30        | 240,447.39        | 344,206.66        | 638,794.82        |
| 4 | अन्य राजस्व प्राप्तियाँ                 | 70,620.96         | 64,291.24         | 104,979.10        | 108,259.09        |
|   | <b>कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+4)</b>     | <b>834,168.26</b> | <b>304,738.62</b> | <b>449,185.76</b> | <b>747,053.91</b> |
|   | <b>कुल प्राप्तियाँ (1+2+3+4)</b>        | <b>999,224.26</b> | <b>357,171.06</b> | <b>502,038.76</b> | <b>999,604.91</b> |
|   | <b>भुगतान</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| 1 | पूँजीगत भुगतान                          | 1,453.50          | 213.67            | 485.00            | 1,255.00          |
| 2 | ऋण एवं अग्रिम                           | 65,471.00         | 57,571.20         | 68,279.00         | 58,318.00         |
| 3 | रिफण्ड (परिसम्पत्तियों)                 | 1,075.00          | 2,007.07          | 2,900.67          | 585.00            |
| 4 | भू-अधिग्रहण                             | 606,300.00        | 165,825.93        | 270,741.47        | 577,947.00        |
| 5 | विकास एवं निर्माण कार्य                 | 194,855.19        | 42,218.74         | 54,750.34         | 194,607.89        |
| 6 | जेवर एयरपोर्ट (पूँजीगत अंशदान)          | 70,200.00         | 24,574.22         | 52,306.07         | 110,200.00        |
| 7 | मल्टी मोडल कनेक्टिविटी                  | 30,000.00         | -                 | 30,000.00         | 30,000.00         |
| 8 | अन्य राजस्व भुगतान                      | 26,366.04         | 19,003.68         | 21,956.73         | 26,272.20         |
|   | <b>कुल राजस्व भुगतान (3+4+5+8)</b>      | <b>828,596.23</b> | <b>229,055.42</b> | <b>350,349.21</b> | <b>799,412.09</b> |
|   | <b>कुल भुगतान<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8)</b> | <b>995,720.73</b> | <b>311,414.51</b> | <b>501,419.28</b> | <b>999,185.09</b> |

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंकों से ऋण ₹ 500.00 करोड़ प्राप्त किया गया, जबकि ₹ 535.13 करोड़ का ऋण वापस (Repayment) किया गया।

## प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट हेतु कुल ₹ 999,604.91 लाख की प्राप्तियाँ प्रस्तावित हैं।

### 1- पूँजीगत प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट हेतु ₹ 1.00 लाख की पूँजीगत प्राप्तियाँ प्रस्तावित हैं।

### 2. ऋण एवं अग्रिम

वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट हेतु भू-अधिग्रहण एवं विकास कार्यों हेतु ₹ 92,500.00 लाख एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के मद में ₹ 150,000.00 लाख को सम्मिलित करते हुये ऋण एवं अग्रिम मद में ₹ 252,550.00 लाख की प्राप्ति बजट में प्रस्तावित है।

### 3. राजस्व प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 747,053.91 लाख की कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्तियाँ ₹ 538,794.82 लाख एवं अन्य राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 108,259.09 लाख सम्मिलित है।

## व्यय

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट हेतु कुल ₹ 999,185.09 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

### 1. पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट हेतु ₹ 1,255.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

### 2. ऋण एवं अग्रिम की वापसी

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऋण एवं अग्रिम की वापसी हेतु ₹ 58,318.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

### 3. राजस्व व्यय

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ₹ 799,412.09 लाख का बजट प्रस्तावित है। इसमें मुख्यतः भू-अधिग्रहण (₹ 577,947.00 लाख), निर्माण व विकास कार्य (₹ 194,807.89 लाख), रिफण्ड (₹ 585.00 लाख) तथा अन्य राजस्व व्यय (₹ 26,272.20 लाख) सम्मिलित है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेवर एयरपोर्ट हेतु ₹ 110,200.00 लाख तथा मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हेतु ₹ 30,000.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।